कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर।

पत्रांक 672 / 14–10 (FP/Road/156081/22) सहारनपुर, दिनांक, 8-8-2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
सहारनपुर।

ऑनलाइन प्रस्ताव सं0 FP/UP/Road/156081/2022

विषयः– **जनपद सहारनपुर में सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर द्वारा एन0एच0–709बी, किमी0 चैनेज 0.000 (चुनहेटी) से दिल्ली यमुनोत्री रोड (एस.एच.–57) वाया अम्बाला रोड़, किमी0 चैनेज 19.125 तक (कुल लम्बाई 19.125) 4 लेन बाईपास रोड निर्माण हेतु 0.8768040 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 493 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।**

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, लखनऊ की पत्र संख्या– 8बी / यू0पी0 / 06 / 42 / 2023 / एफ0सी0 / 102 दिनांक 05.08.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 350 / 11सी / FP/UP/Road/156081/2022 लखनऊ, दिनांक 06.08.2024

महोदय,

कृपया भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक 05.08.2024 जो इस कार्यालय के साथ–साथ आपको भी पृष्ठांकित है, के द्वारा जनपद सहारनपुर में सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर द्वारा एन0एच0–709बी, किमी0 चैनेज 0.000 (चुनहेटी) से दिल्ली यमुनोत्री रोड (एस.एच.–57) वाया अम्बाला रोड़, किमी0 चैनेज 19.125 तक (कुल लम्बाई 19.125) 4 लेन बाईपास रोड निर्माण हेतु 0.8768040 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 493 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में सैद्वांतिक स्वीकृति (स्टेज–1) कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान की गई है।

सैद्वांतिक स्वीकृति दिनांक 05.08.2024 में उल्लेखित शर्त संख्या–03 एवं 04 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण एवं वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की धनराशियों का आंकलन निम्नानुसार हैः–

शर्त संख्या	प्रभाग का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हे0मे0)	दर	धनराशि (रूपये में)	भुगतान किये जाने संबंधी विवरण
1– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि :–					
01	02	03	04	05	06
शर्त संख्या–3	सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर	5.0 हे0 अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण		09,68,000.00	प्रयोक्ता एजेन्सी के ई–पोर्टल के माध्यम से जनरेट चालान से
2– संरक्षित वन का शुद्व वर्तमान मूल्य **(NPV)** की धनराशि (भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2011–FC(VOL-I) दिनांक 06.01.2022 के क्रम में बढी हुई एन.पी.वी. (नई दर)					
शर्त संख्या–4	सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर	0.8768040 हे0	1228590.00	10,77,233.00	
		योग		**20,45,233.00**	

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 05.08.2024 की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया सैद्वांतिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या–03 के अनुपालन में 5.0 हे0 अवनत भूमि में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक अनुरक्षण सहित धनराशि रू0 09,68,000.00 (नौ लाख अडसठ हजार) मात्र एवं शर्त संख्या–04 के अनुपालन में 0.8768040 हे0 संरक्षित भूमि का शुद्व वर्तमान मूल्य (NPV) रूपये 10,77,233.00 (दस लाख सत्तरह हजार दो सौ तैतीस) मात्र इस प्रकार कुल रू0 09,68,000.00 +10,77,233.00 =20,45,233.00 (बीस लाख पैतालीस हजार दो सौ तैतीस) मात्र की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी

को ई—पॉर्टल के माध्यम से जनरेट चालान से कैम्पा फण्ड में नियमानुसार धनराशि जमा करना सुनिश्चित करें व भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति दिनांक 05.08.2024 में उल्लेखित समस्त शर्त संख्या 01 से 27 तक की अनुपालन आख्या/प्रमाण—पत्र/बचनबद्वताओं के इस कार्यालय में यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना संभव हो सके।

भवदीय,

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सहारनपुर

पत्रांक : 672 / 141 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को संदर्भित पत्र के अनुपालन में।

2— प्रतिलिपि वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सहारनपुर

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roez.lko-mef@nic.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 : 8बी / यू0पी0 / 06 / 42 / 2023 / एफ.सी. /102 दिनांक : 05.08.2024

सेवा मे,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/156081/2022

विषयः जनपद सहारनपुर में सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर द्वारा एन0एच0–709बी, किमी0 चैनेज 0.000 (चुनहेटी) से दिल्ली यमुनोत्री रोड (एस0एच0–57) वाया अम्बाला रोड, किमी0 चैनेज 19.125 तक (कुल लम्बाई 19.125 किमी0) 4 लेन बाईपास रोड निर्माण हेतु 0.8768040 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 493 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी का पत्रांक 3872 / 11–सी–FP/UP/Road/156081/2022, दिनांक 27.06.2024.

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 523 / 81–2–2023–800(08) / 2023, दिनांक 01.03.2023 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद सहारनपुर में सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर द्वारा एन0एच0–709बी, किमी0 चैनेज 0.000 (चुनहेटी) से दिल्ली यमुनोत्री रोड (एस0एच0–57) वाया अम्बाला रोड, किमी0 चैनेज 19.125 तक (कुल लम्बाई 19.125 किमी0) 4 लेन बाईपास रोड निर्माण हेतु 0.8768040 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 493 बाधक वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 5.0 ha. Degraded Forest Land in Barkala Forest Block, Compartment No. 2b, Shakumbri Range, Shiwalik Forest Division, District Saharanpur at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the **0.876804** ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022 in this regards.
5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6. User agency shall restrict the felling of trees to 493 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

7. The user agency to explore transplanting of trees in consultation and guidance of Forest Department and monitoring/assessment of success of such transplanted trees by Research Wing of Forest Department. The details and location of such transplanted trees shall be submitted.
8. The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of Final Approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
9. No violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 certificate from concerned DFO shall be provided.
10. Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.
11. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.
12. The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.
13. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
14. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
15. No labour camp shall be established on the forest land.
16. The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
17. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
18. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
19. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
20. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
21. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
22. **The KML file of area proposed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.**
23. Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.1 of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
24. The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15.05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.
25. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
26. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through *e-portal* ([illegible]).
27. The compliance report shall be uploaded on *e-portal* ([illegible]).

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर।
5. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

05/08/2024
(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक–11सी– 350 /FP/UP/Road/156081/2022 लखनऊ, दिनांक: अगस्त 06 ,2024

प्रतिलिपि:– 1 वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक–2501/11–सी, दिनांक 24.05.2016 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.09.2019 तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–582/11सी दिनांक 17.09.2019 के द्वारा दिये गये निर्देश के कम में अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:– 2 प्रभागीय निदेशक, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति मे उल्लिखित समस्त शर्तो के अनुपालन के क्रम मे प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक–2501/11 सी, दिनांक 24.05.2016 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप मे एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.09.2019 तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–582/11सी दिनांक 17.09.2019 के द्वारा दिये गये निर्देश के कम में अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर सम्बन्धित अभिलेखों [illegible] इस कार्यालय के पत्रांक 2657/11 सी, दिनांक 15.06.2017 द्वारा प्रेषित उत्तर प्रदेश शासन का पत्र दिनांक 14.06.2017 के अनुपालन के क्रम मे, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति मे उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धो के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु [illegible] करते हुए सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संस्तुति सहित सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड करायें।

प्रतिलिपि:– 3 अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति मे उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.09.2019 तत्क्रम मे इस कार्यालय के पत्रांक–582/11सी दिनांक 17.09.2019 के द्वारा दिये गये निर्देश के कम मे अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय [illegible] को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।